

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 137/2019 वाद

GCMS No. - 2019/00415

1. श्रीमति प्रियंका चण्डालिया पुत्री श्री लक्ष्मीलाल जी चण्डालिया निवासी सी. 7, कृष्ण वाटिका, मधुवन, चित्तौड़गढ़ राज0

वादीया

बनाम

1. गोपाल पिता डालचन्द लुहार आयु 45 साल निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा
2. शिवकन्या पुत्री लच्छीराम आयु 60 साल निवासी बावल तह0 जावद जिला नीमच म0प्र0।
3. आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा रसूलपुर जरिये श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा रसूलपुर तह0 निम्बाहेडा।
4. श्रीमान् तहसीलदार साहब पदेन उप पंजीयक महोदय, निम्बाहेडा

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

- उपस्थित :- 1- श्री पूरणमल धाकड - अधिवक्ता वादीया
2- श्री ज्ञानचन्द्र धाकड - अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

:: निर्णय ::

दिनांक :- 21.11.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वाके मोजा मण्डा गुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा में प्रतिवादी न0 1 की खरीदशुदा आराजियात स्थित है। जिस पर प्रतिवादी न0 1 काबिज हो काश्त करता चला आ रहा था। जिसके वर्तमान खाता सं0 355 पुराना 309 की आराजी नं0 123 रकबा 0.2200 है0, आ0न0 127 रकबा 0.3400 है0, आ0न0 603 रकबा 0.1900 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर कुल लगानी 24.85 रूपये स्थित है। उक्त आराजियात में प्रतिवादी न0 1 का 2/3 हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात प्रतिवादी न0 1 द्वारा स्वयं कय कर सुविधा की दृष्टि से अपनी पत्नि श्रीमति लीला के नाम पंजीकृत करवाई गई तथा उक्त आराजियात में से 1/2 हिस्सा यानि की 0.2500 हैक्टेयर वादीया को दिनांक 21.12.2018 को विक्रय की गई। साक्ष्य में नकल जमाबंदी व विक्रय इकरार की सत्य प्रति पेश हैं। यहकि उपरौक्त वर्णित आराजियात में से खाता संख्या 335 को प्रतिवादी न0 1 द्वारा खरीदी गई, सुविधा की दृष्टि से अपनी पत्नि के नाम दर्ज करवाई गई। प्रतिवादी न0 1 लीला का उत्तराधिकारी है तथा उक्त आराजियात में प्रतिवादी न0 1 की पत्नि का 2/3 हिस्सा यानि की 0.5000 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज है जो कि प्रतिवादी न0 1 को अपनी पत्नि का लीवर खराब होने के कारण ईलाज हेतू 9,00,000/- रूपये की आवश्यकता होने के कारण उक्त आराजियात में से 0.2500 हैक्टेयर विक्रय करने का इच्छा कर वादीया से 9,00,000/- रूपये नकद प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द कर अनुबंध अनुसार प्रतिवादी न0 1 ने

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

अपनी पत्नि को स्वस्थ होते ही लाकर रजिस्ट्री करवाने का अंकन करवाया तथा ऑपरेशन सफल नहीं होने की स्थिति में स्वयं रजिस्ट्री कराने की कही। परन्तु दुर्भाग्य से श्रीमति लीला का दिनांक 25.12.2018 को देहावसान हो गया।


2. वादिया द्वारा दिनांक 11.08.2019 को प्रतिवादी न० 1 को अपने द्वारा विकित जमीन वादिया के नाम कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी न० 1 विफर गया तथा कहा कि सारी जमीन मेरे नाम कराकर मैं विक्रय करके भाग जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे जो करना हो वह दावा कर देना। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वो वादीया के 1/2 हिस्से यानि 0.2500 हैक्टेयर से जबरन बेदखल नहीं करें न करावें तथा आराजियात किसी प्रकार से खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करें न करावें तथा मौके कब्जे व रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें न करावें। यदि प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया गया तो वादीया को भारी अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पायेगी तथा वादीया का बाद पेश करना व्यर्थ हो जावेगा। इसलिए वादीया के पक्ष में 0.2500 हैक्टेयर भूनि घोषित फरमाई जाकर बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किया जाना न्यायोचित है।
3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 2,3,4 बावजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 की और अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड ने वकालतनामा मय जवाबदावा प्रस्तुत किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रियंका पीडब्लू 1, रमेशचन्द्र चण्डालिया पीडब्लू 2, विशाल गोस्वामी पीडब्लू 3 का शपथ पत्र पेश किया एवं बयान लिए गए तथा वकील वादी की गवाह पेश नहीं करने से साक्ष्य बन्द की गई।
4. इकरारनामे के आधार पर बटवाडा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है कानूनन इकरार नामे से कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। इकरारनामे के आधार पर घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं है। इकरार नामे के आधार पर वाद की पालना का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं है।

—:आदेश —

परिणामस्वरूप वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।




(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा